

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी०एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-80/2017-18

—: आदेश :—

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
16/3/18	अभिलेख उपस्थापित। विक्रेता श्रीमत्या गायत्री देवी पति-स्व० जगदीश महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम- सरदाहा, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-सरदाहा, थाना नं०-124 के खाता सं०-73 प्लॉट नं०-1098 रकवा 0.12½ एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 318/भू०सु० दिनांक 27.06.2017 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 571 दिनांक 16.03.2018 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :- 1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है। जिसका सर्वे खतियान बुचा महतो वगैरह के नाम से दर्ज है। 2. विक्रेता ग्राम- सरदाहा, थाना- पिण्डाजोरा एवं क्रेता ग्राम- शांखाकुड़ी, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो के मूल निवासी है। 3. विक्रेता एवं क्रेता दोनों जाति के कुर्मी, महतो है जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते है। 4. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है जिसपर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। 5. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् विक्रेता के पास 2.50 एकड़ भूमि शेष बचता है एवं विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे। 6. बिक्री की जाने वाली भूमि की जमाबंदी पंजी II के थोका संख्या 76 मे आवेदक के परदादा के नाम से दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2009-10 तक निर्गत है। 7. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म गोड़ा तीन है। 8. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा- सरदाहा, थाना नं०-124 के खाता सं०-73 प्लॉट नं०-1098 रकवा 0.12½ एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।	

आदेश
कारवाही
टिप्पणी

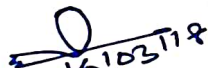
आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अंचल कार्यालय, चास द्वारा निर्गत विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-356919 दिनांक 13.07.2016 एवं अंचल कार्यालय, चन्दनकियारी द्वारा निर्गत क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-2595 दिनांक 28.06.2015 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।

अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता श्रीमत्या गायत्री देवी पति-स्व० जगदीश महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम- सरदाहा, थाना-पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो को मौजा- सरदाहा, थाना नं०-124 के खाता सं०-73 प्लॉट नं०-1098 रकबा 0.12½ एकड़ भूमि को क्रेता भीष्मनाथ महतो पिता- स्व० ज्योति महतो, जाति-कुर्मी, महतो, ग्राम- शांखाकुड़ी, थाना-चन्दनकियारी, जिला-बोकारो को बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
चास।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
चास।

4/5/16